2017 का विधेयक संख्यांक 166

[दि राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एड्यूकेशन (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

2. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- 2009 का 35

परीक्षा और कतिपय मामलों में रोका जाना ।

"16. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में, पांचवीं कक्षा में और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी ।

(2) यदि कोई बालक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पुन:परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) समुचित सरकार, किसी विद्यालय को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, किसी बालक को, यदि वह उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुन:परीक्षा में असफल रहता है तो, पांचवीं कक्षा में या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में रोके जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी :

परंतु समुचित सरकार, किसी बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी न होने तक किसी कक्षा में न रोके जाने का विनिश्चय कर सकेगी ।

(4) किसी बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 38 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(चक) ऐसी रीति और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन किसी बालक को रोका जा सकेगा ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम), छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए है ।

2. अधिनियम की धारा 16 में यह उपबंधित है कि किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा । उक्त अधिनियम में यह उपबंध इसलिए किया गया था क्योंकि प्रायः परीक्षाओं का उपयोग ऐसे बालकों को निष्कासित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने इतने कम अंक अर्जित किए हों जो बालकों को विद्यालय के उसी ग्रेड को फिर से दोहराने के लिए या पूर्णतया विद्यालय छोड़ने के लिए विवश करता है । यह महसूस किया गया कि किसी कक्षा में किसी बालक को पुनः दोहराने के लिए विवश करना उसे हतोत्साहित और निरुत्साहित दोनों ही करना होगा ।

3. अभी हाल के वर्षों में, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा बालकों के ज्ञान के स्तर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है क्योंकि धारा 16 बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक किसी कक्षा में रोके जाने की अनुमति नहीं देती है । अतः, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा के परिणामों में सुधार लाने के लिए और सभी पणधारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, धारा 16 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे समुचित सरकार को इस संबंध में विनिश्चय करने के लिए सशक्त किया जा सके कि किसी बालक को पांचवीं कक्षा में या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में रोका जाए या उसे प्रारंभिक शिक्षा के पूरी होने तक किसी भी कक्षा में न रोका जाए ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 अगस्त, 2017

प्रकाश जावडेकर

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध के संबंध में है । प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (3) समुचित सरकार को ऐसी रीति और शर्तों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है जिनके अधीन रहते हुए किसी बालक को, यदि वह पुनः परीक्षा में असफल रहता है तो पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में रोका जा सकेगा ।

2. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 35) से उद्धरण

* * * * * *

16. किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा ।

रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध ।

* * * * * *

GMGIPMRND—1879LS(CRC)—9-8-2017.